न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्याय कक्ष संख्या–1, रामपुर।

विविध प्रार्थना पत्र संख्या–179/2026
पंजीयन संख्या–832/2026
सी.एन.आर.संख्या–UPRP040199412026

महबूब अली बनाम मो० आरिफ आदि।
धारा–173(4) बी.एन.एस.एस.,
थाना–कोतवाली, जिला रामपुर।

निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस०

पत्रावली पेश हुई। आवेदक को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर सुना गया।

संक्षेप में आवेदक का कथन है कि प्रार्थी एक आराजी काश्त गाटा संख्या 58 रकबा 0.682 हे० स्थित ग्राम आंगा, तहसील सदर, जिला रामपुर के 1/2 भाग का मालिक व काबिज है, जहां प्रार्थी का कभी–कभी आना–जाना होता है। प्रार्थी के बाहर रहने2. प्रार्थी के बाहर रहने का अनुचित लाभ उठाते हुये मो० आरिफ पुत्र अकबर अली निवासी ग्राम सैजनी नानकार, थाना–गंज, जिला–रामपुर व जैनुल आबेदीन पुत्र फजले हक निवासी ग्राम मुनीमपुर, पोस्ट सरकड़ा, जिला–मुरादाबाद, लीशानुल हक पुत्र फजले हक निवासी ग्राम मुनीमपुर, पोस्ट सरकड़ा, जिला–मुरादाबाद निवासी हाल–ब्रह्मपुरी सीलमपुर नई दिल्ली व रहमान शाह पुत्र मतलूब शाह निवासी–बमनपुरी, थाना–गंज, जिला–रामपुर व इनके अन्य साथियों ने आपस में सांठ–गांठ करके एक राय व मशविरा होकर कूटरचित व फर्जी दस्तावेज तैयार किये। उक्त विपक्षीगण ने प्रार्थी के स्थान पर किसी अज्ञात व्यक्ति को खड़ा करके दिनांक–19.02.2024 को प्रार्थी की उक्त आराजी का फर्जी बैनामा पंजीकृत करा लिया। यह फर्जी बैनामा बहीं सं0–1, जिल्द सं0–10763 के पृष्ठ सं0–177 से 194 तक क्रमांक 1691 पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय तहसील सदर, जिला–रामपुर में पंजीकृत हुआ है। जानकारी होने पर प्रार्थी ने रामपुर आकर अभिलेखों का मुआयना कराया और उक्त जाली व फर्जी बैनामे के बारे में जब विपक्षीगण से बात की, तब उपरोक्त मुल्जिमानो ने प्रार्थी को भरोसा दिलाया कि हम आपकी जमीन का बयनामा निरस्त करा कर आपकी जमीन आपके नाम करा देंगे। क्योंकि जो बयनामा मुल्जिमान ने कराया था, उस पर न तो प्रार्थी का फोटो चस्पा है ना ही उस पर प्रार्थी का अंगूठा निशान लगा है। ना ही प्रार्थी ने उक्त फर्जी बैनामे में दिखाये गये बैंक चेकों का भुगतान प्राप्त किया है। प्रार्थी सीधा सादा उम्र दराज व्यक्ति है। प्रार्थी उपरोक्त लोगो पर विश्वास करके बिना किसी कानूनी कार्यवाही करके वापिस अपने घर दिल्ली चला गया। तब से उपरोक्त मुल्जिमान प्रार्थी को लगातार भरोसा देते रहे कि हम आपकी जमीन आपके नाम करा देंगे। उपरोक्त मुल्जिमान के बुलाने पर दिनांक–09.06.2026 को समय लगभग दोपहर 2.00 बजे मौहल्ला थाना कुण्डा, थाना कोतवाली, रामपुर गया, प्रार्थी ने उक्त मुल्जिमान से बयनामा खारिज कराने को कहा, तो वे आग बबूला हो गये। उन्होने प्रार्थी को गन्दी गन्दी गालियाँ दीं और कहा कि हम कोई बयनामा खारिज नही करेंगे, तुमसे जो हो सके, कर लेना। विपक्षीगण ने प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि अगर कोई कानूनी कार्यवाही की, तो तुझे व तेरे परिवार को झूठे मुकदमों में जेल भिजवा देंगे और जमीन पर भी कब्जा कर लेंगे। उक्त मौ० आरिफ, जैनुल आबेदीन, निशाउल हक व रहमान शाह उनके साथी दबंग व बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्ति है, जिनसे प्रार्थी को अपनी जान व माल का सख्त खतरा बना हुआ है। प्रार्थी रिपोर्ट को थाना कोतवाली गया, लेकिन प्रार्थी की कोई सुनवाई नही की गयी। थाने पर कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थी ने दिनांक–12.06.2026 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, रामपुर को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रार्थना पत्र

Digitally signed by SHOBIT BANSAL
Date: 2026.06.20 15:39:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रस्तुत किया, लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थी न्यायालय की शरण में आया है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि थानाध्यक्ष कोतवाली को आदेशित किया जाये कि प्रार्थी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण की विवेचना करें।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र, छायाप्रति श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर को प्रेषित प्रार्थना पत्र, रजिस्टर्ड डाक रसीद, छायाप्रति बैनामा दिनांकित 19–02–2024, छायाप्रति खतौनी गाटा संख्या 58 एवं स्वयं के आधारकार्ड की छायाप्रति दाखिल की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में थाने से आख्या तलब की गई। थाने की आख्यानुसार थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा विपक्षीगण पर उसकी आराजी के कूटरचित व फर्जी दस्तावेज तैयार कर फर्जी बैनामा पंजीकृत कराने, आवेदक द्वारा शिकायत करने पर विपक्षीगण द्वारा गन्दी–गन्दी गालियां देने एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। थाने की आख्यानुसार घटना के संबंध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। अपने कथनों के समर्थन में आवेदक द्वारा छायाप्रति बैनामा दिनांकित 19–02–2024 एवं छायाप्रति खतौनी गाटा संख्या 58 दाखिल की गई है, जिनके अवलोकन से कथित बैनामे में क्रेता का लगा फोटो आवेदक के फोटो से भिन्न है। आवेदक द्वारा शपथपत्र से समर्थित अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कथन किया गया है कि संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने तथा पुलिस अधीक्षक, रामपुर को दिये गये प्रार्थना पत्र पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। आवेदक के शपथपत्र में किए गए उपरोक्त कथन एवं दाखिल किए गए प्रपत्रों का खण्डन किसी भी प्रति शपथपत्र/पुलिस द्वारा नहीं किया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं दाखिल समस्त प्रपत्रों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का गठित होना प्रतीत होता है। जिसमें पुलिस द्वारा विवेचना कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार आवेदक **महबूब अली** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाता है। **थानाध्यक्ष कोतवाली** को आदेशित किया जाता है कि वह प्रकरण के संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट विधिनुसार दर्ज कराकर अंदर सप्ताह न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अनुपालन हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति अविलम्ब सम्बन्धित थाने भेजी जाये। कार्यालय अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

दिनांक 20–06–2026

(शोभित बंसल)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्याय कक्ष संख्या–1, रामपुर।
IDNO.–UP2246